बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक - 8 बजट (1) 15/ 2017 प0पा0 68 (नि0) आ0/ दिनांक - 23/02/2018

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा०प्र०से०

निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी,

बिहार।

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2017—18 में बजट शीर्ष—2403 पशुपालन, राज्य स्कीम, 101—पशु—चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु—स्वास्थ्य, 0101—अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, मांग संख्या—02, विपत्र कोड—02—2403001010101 (राज्य स्कीम के अन्तर्गत पशुचिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना के तहत 24 x 7 के आधार पर संचालित पशु औषधालयों/ चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा NADRS के तहत संस्थापित कम्प्यूटरों के मरम्मति एवं रख—रखाव की योजना) के तहत अधीनस्थ कार्यालयों के व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 88,50,000/— (अठासी लाख पचास हजार रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या—120 दिनांक— 10.01.2018 के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹ 88,50,000/— (अठासी लाख पचास हजार रूपये) मात्र आवंटित किये जाते है।

2— इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 में मांग सं0—02 के अधीन आय—व्ययक शीर्ष 2403 — पशुपालन, राज्य स्कीम, 101 —पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य, 0101 — अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्रकोड —02—2403001010101 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3— यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिये राज्य स्कीम के अन्तर्गत पशुचिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना के तहत 24 x 7 के आधार पर संचालित पशु चिकित्सालयों/ पशु औषधालयों में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा NADRS (National Animal Disease Reporting System) के तहत संस्थापित कम्प्यूटरों के मरम्मति एवं रख—रखाव की योजना के लिए दिया जा रहा है। यह आवंटन प्रथम अनुपूरक आगणन एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त राशि से आच्छादित है।

4— वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998, 428/वि० दिनांक— 31.03.2017, 3002/वि० दिनांक— 26.04.2017 एवं वित्त विभाग से प्राप्त प्रथम अनुपूरक आगणन से संबंधित विमुक्ति आदेश पत्रांक— 942/वि0, दिनांक—01.09.2017 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) वेतन—भत्ते को छोड़कर एक विषयशीर्ष की राशि दूसरे विषयशीर्ष में व्यय नहीं की जायेगी ।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग —1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हों।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप में उपलब्ध करा दें।

(घ) वित्तीय वर्ष 2017–18 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

5– जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय /प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या– 8 बजट (1) 15/2017 प०पा० / 68 (नि०) आ०/ पटना–15, दिनांक 23/02/2018

प्रतिलिपि – उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या – टी० ए०– 57 – 96–97–प०पा०–9–46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या– 8 बजट (1) 15/2017 प०पा० / 68 (नि०) आ०/ पटना–15, दिनांक 23/02/2018

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या– 8 बजट (1) 15/2017 प०पा० / 68 (नि०) आ०/ पटना–15, दिनांक 23/02/2018

प्रतिलिपि– सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या– 8 बजट (1) 15/2017 प०पा० / 68 (नि०) आ०/ पटना–15, दिनांक 23/02/2018

प्रतिलिपि– उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम०–405/98 पार्ट–3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या– 8 बजट (1) 15/2017 प०पा० / 68 (नि०) आ०/ पटना–15, दिनांक 23/02/2018

प्रतिलिपि– सभी कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या– 8 बजट (1) 15/2017 प०पा० / 68 (नि०) आ०/ पटना–15, दिनांक 23/02/2018

प्रतिलिपि– सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा–09/योजना शाखा–06 एवं 10, पशुपालन, बिहार, पटना/ निदेशक, पशुपालन कोषांग (सभी संबंधितों को ई–मेल करने हेतु)/ आई० टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को (विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु) अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट शीर्ष–2403 पशुपालन, राज्य स्कीम 101–पशु–चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु–स्वास्थ्य 0101–अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, मांग संख्या–02, विपत्र कोड–02– 2403001010101 (राज्य स्कीम के अन्तर्गत पशुचिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना के तहत 24 x 7 के आधार पर संचालित पशु औषधालयों/ चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा **NADRS** के तहत संस्थापित कम्प्यूटरों के मरम्मति एवं रख–रखाव की योजना) के अन्तर्गत आवंटन की विवरणीः–

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	0101.13 01 कार्यालय व्यय	0101.52.01 मशीनें एवं उपस्कर	कुल आवंटन
1	2	3	4	5
1	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना	125000	400000	**525000**
2	जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा	125000	100000	**225000**
3	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भोजपुर	125000	100000	**225000**
4	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर	125000	100000	**225000**
5	जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास	125000	100000	**225000**
6	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कैमुर	125000	100000	**225000**
7	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया	125000	100000	**225000**
8	जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद	125000	100000	**225000**
9	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अरवल	125000	100000	**225000**
10	जिला पशुपालन पदाधिकारी, औरंगाबाद	125000	100000	**225000**
11	जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा	125000	100000	**225000**
12	जिला पशुपालन पदाधिकारी, छपरा	125000	100000	**225000**
13	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीवान	125000	100000	**225000**
14	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज	125000	100000	**225000**
15	जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा	125000	100000	**225000**
16	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधुबनी	125000	100000	**225000**
17	जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर	125000	100000	**225000**
18	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय	125000	100000	**225000**
19	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	125000	100000	**225000**
20	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मोतिहारी	125000	100000	**225000**
21	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी	125000	100000	**225000**
22	जिला पशुपालन पदाधिकारी, शिवहर	125000	100000	**225000**
23	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेतिया	125000	100000	**225000**
24	जिला पशुपालन पदाधिकारी, वैशाली	125000	100000	**225000**
25	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सहरसा	125000	100000	**225000**
26	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सुपौल	125000	100000	**225000**
27	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा	125000	100000	**225000**
28	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर	125000	100000	**225000**
29	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बांका	125000	100000	**225000**
30	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर	125000	100000	**225000**
31	जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई	125000	100000	**225000**
32	जिला पशुपालन पदाधिकारी, लखीसराय	125000	100000	**225000**
33	जिला पशुपालन पदाधिकारी, शेखपुरा	125000	100000	**225000**
34	जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया	125000	100000	**225000**
35	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ	125000	100000	**225000**
36	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार	125000	100000	**225000**
37	जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज	125000	100000	**225000**
38	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया	125000	100000	**225000**
	योग :–	**4750000**	**4100000**	**8850000**
		(सैंतालिस लाख पचास हजार) रूपये मात्र।	(एकतालिस लाख) रूपये मात्र।	(अठासी लाख पचास हजार) रूपये मात्र।

68 (नि०) 3170
23/02/2018

निदेशक, पशुपालन।